न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–212/2012 (जीसीएमएस नं. 2012/00092)

1. रूघनाथ पुत्र हुकमा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम दुबली, तहसील बस्सी जिला जयपुर **(मृतक दोराने अपील)**
   1/1. रमशी उर्फ रामसहाय पुत्र स्व. जगन्नाथ,
   1/2. शंकर लाल पुत्र स्व. जगन्नाथ,
   1/3. चन्दा लाल पुत्र स्व. जगन्नाथ,
   1/4. रामजी लाल पुत्र स्व. महादेव प्रसाद, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम दुबली तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र कल्याण,
2. प्रभूदयाल पुत्र कल्याण,
3. सीताराम पुत्र धन्ना,
4. जगदीश पुत्र गंगाराम,
5. रामपाल पुत्र गंगाराम,
6. मूलचन्द पुत्र गंगाराम,
7. जमना बेवा गंगाराम समस्त जाति बलाई निवासी आगरा रोड़, नायकों का टिबा, कच्ची बस्ती बस डिपो के पास, जवाहर नगर जयपुर।

——**मुख्य रेस्पोडेन्ट्स**

8. राजास्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

——**प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट**

उपस्थितिः–

1. **श्री एन.एल. शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 07.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में तामिल का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही किया जबकि अपीलान्ट के पास न्यायालय के किसी प्रकार के कोई सम्मन नही गये ऐसा होता तो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते किन्तु अपीलान्ट की प्रकरण में तामील ही नही हुई, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.02.2017 के अनुसार जारी नोटिस तामील से लौटकर प्राप्त नही हुए है इन्तजार नोटिस मिसल दिनांक 22.03.2007 को पेश हो, तत्पश्चात दिनांक 22.03.2007 को नोटिस प्राप्त होने पर उक्त नोटिस का बाद तामील मानते हुए अपीलार्थी की अनुपस्थिति अंकित करते हुए पत्रावली सुनवाई हेतु नियत की गई जबकि जो नोटिस अपीलान्ट को जारी किये गये थे उक्त नोटिस की रिपोर्ट में तामील कुलीन्दे द्वारा यह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिपोर्ट की गई कि आसामी के घर जाकर तलाश किया तो आसामी घर नही मिला नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चश्पा की गई तथा उक्त नोटिस पर किसी दीगर व्यक्यिों के हस्ताक्षर है जिनके बारे में तामील कुलीन्दे ने ना तो यह बताया कि यह मौके के गवाह है, ना ही उक्त दीगर व्यक्तियों के पूर्ण नाम व पता भी अंकित नही है जिससे स्पष्ट है कि उक्त तामील विधिपूर्वक नही है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 के विपरित है जिस कारण भी अपीलार्थी के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से अपीलार्थी की अनुपस्थिति गलत तरीके से दर्शायी है जिस कारण भी उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में यह भी जांच नही की कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने वाले पक्षकार कौन है और उनकी प्रकरण में क्या लोकस स्टेण्डाई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने वाले पक्षकार ना तो दूबली के निवासी है और इनका कभी पॉच्या पुत्र पूरा से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। पॉच्या पुत्र पूरा जिन्दा है या मर चुका है इस सम्बन्ध मे ना तो अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया और ना ही कोई वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार सजरा खानदान स्पष्ट रूप से प्रमाणित नही किया। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने जो अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की वह किस हैसियत से प्रस्तुत की है यह भी साबित नही किया है इस आधार पर भी उक्त अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मूल पत्रावली के ही उक्त आदेश पारित कर दिया है जबकि मूल पत्रावली प्रकरण मे नही मंगवायी गयी और बिना पत्रावली के ही सरसरी तौर पर ही उक्त आदेश पारित कर दिया जिस कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण वर्ष 1965 में मिसल संख्या 33/1965 पर पारित निर्णय दिनांक 26.08.1965 की पालना में भरा गया था उक्त आदेश की अपील नही की गई और केवल उक्त नामान्तरकरण को ही चैलेन्ज किया गया जबकि नामान्तरकरण संख्या 27 न्यायालय के आदेश से भरा गया है उक्त आदेश दिनांक 26.08.1965 आज भी प्रभावी है जिसका निरस्त करवाये बिना अधीनस्थ न्यायालय उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने मे सक्षम नही थी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण को 50 वर्ष से अधिक समय पश्चात् चैलेन्ज किया है जो कि प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश अपास्त किय जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी तब हुई जब पटवारी द्वारा दिनांक 28.08.2012 को मौके पर जमीन को नाप-जोख करने आया और अपीलान्ट को कहा कि आपका नामान्तरकरण निरस्त हो गया है, आपका उक्त जमीन से कोई

न्यायिक आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

लेना–देना नही है और उक्त जमीन किसी अन्य दीगर व्यक्तियों के नाम होगी तब अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से जानकारी करने पर दिनांक 29.08.2012 को नकल हेतु आवेदन किया और उक्त आदेश की नकल दिनांक 31.08.2012 को प्राप्त होने पर अन्दर मियाद उक्त अपील पेश की गयी है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2011 को निरस्त किया जावें एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आधार पर पुनः रिमाण्ड किया जावें कि पक्षकारों को सनवाई का पूर्ण अवसर देकर ही प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली चाहे जाने पर तहसीलदार बस्सी के पत्रांक 1776 दिनांक 10.05.2011 द्वारा उक्त रिकार्ड सुलभ नही होना अवगत कराया गया है तथा अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नही रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ पाये और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्ररकण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर